

बिहार लोक सेवा आयोग
15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना- 800001

आवश्यक सूचना

60वीं से 62वीं सम्मिलित संयुक्त मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा के अन्तर्गत CWJC No.- 2276/2017, Mayank kumar vs. The State of Bihar & others एवं अन्य वादों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में प्रारम्भिक परीक्षा में सम्मिलित एवं उत्तीर्ण घोषित 05 उम्मीदवारों में से 03 उम्मीदवारों, अनुक्रमांक - 343672, 343677 एवम् 343701 के ऑफलाईन आवेदन पत्र अप्राप्त रहने के कारण इनकी अभ्यर्थिता रद्द करते हुए इसकी सूचना समाचार पत्रों में/आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी एवं साथ ही उन्हें इस अनर्हता के विरुद्ध दिनांक 18.04.2018 तक आपत्ति (यदि कोई हो) दर्ज करने को कहा गया था।

अनुक्रमांक - 343677 द्वारा ससमय ऑफलाईन आवेदन पत्र जमा करने का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है एवं अनुक्रमांक - 343701 द्वारा ससमय जमा किया हुआ ऑफलाईन आवेदन पत्र प्राप्त हो गया है। तदालोक में सम्यक् विचारोपरान्त आयोग द्वारा उक्त दो उम्मीदवारों, अनुक्रमांक - 343677 एवं 343701 को उक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अर्हित किया जाता है।

प्रारम्भिक परीक्षा में सम्मिलित एवं उत्तीर्ण घोषित एक अन्य उम्मीदवार, अनुक्रमांक - 102216, वीणा रानी हेम्ब्रम द्वारा मात्र ऑफलाईन आवेदन पत्र भरकर भेजा गया है, जबकि उनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने के बाद उसकी हार्ड कॉपी आयोग को भेजी जानी थी। फलस्वरूप इनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी गई है।

huj
20.4.18

संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना